यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद कुमाऊं, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद कुमाऊं, नैनीताल के माह उत्तराखण्ड राज्य गठन से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.07.2017 से 13.07.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊं परिक्षेत्र

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	10.15	04.27	03.20	0.78	-	-
2015-16	-	-	03.74	03.48	08.30	06.27	-	-
2016-17	-	-	06.35	05.52	05.90	04.74	-	-
2017-18 (06/17 तक)	-	-	04.80	02.65	02.12	0.77		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद कुमाऊं, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2007, 03/2008, 09/2008, 03/2010, 05/2010, 04/2011, 04/2012, 04/2014, 08/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-1</u> ₹ 02.13 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली, 2015 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹ 50,000 से ₹ 3,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, नैनीताल के क्रय अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-12 'कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण' से वर्ष 2015-16 में (₹82401 + 99880 + 31212) कुल ₹ 213493 का क्रय, क्रय समिति के गठन किये बिना केवल अपर मुख्य राजस्व आयुक्त (सर्किट कोर्ट), उत्तरांचल, नैनीताल के आदेश से कोटेशन प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। विवरण निम्न है

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
श्री गोल्ज्यू फर्नीचर इन्ड्रस्टीज (इंडिया) हल्द्वानी	1150	18.03.2016	82401
इंडिया स्टील इन्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	544	18.03.2016	99880
नैनीताल जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, हल्द्वानी	175	18.03.2016	31212
योग			213493

उपरोक्त क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली-2015 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में कमेटी बनाकर ही सामग्री क्रय की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-2</u> **₹** 82.19 लाख के बजट व्यय का रोकड़बही न बनाया जाना।

Central Government Account (Receipts and Payments) Rules-1983 के नियम संख्या 13 (1 से 5) में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालयी प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना चाहिए जिसके संव्यवहारों का मासिक सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, नैनीताल द्वारा कार्यालय के गठन से 2017-18 (06/2017 तक) के 11-सी पंजिका, वेतन भत्तों तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त अवधि में बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया। विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2010-11	-	-	27.07	23.45
2011-12	**-**	**-**	21.20	13.41
2012-13	-	-	14.67	09.65
2013-14	-	-	13.60	07.20
2014-15	-	-	13.50	05.06
2015-16	-	-	12.04	09.75
2016-17	-	-	12.25	10.25
2017-18 (06/2017 तक)			06.92	03.42
योग				82.19

अग्रेतर रोकड़बही हेतु जांच में वर्ष 2010-11 से 2017-18 (06/2017 तक) कुल ₹ 82.19 लाख के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा, जानकारी के अभाव में यह कार्य नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-**1** अविवेकपूर्ण प्राक्कलन के कारण ₹ 05.37 लाख का अवरोधन।

बजट मैनुअल के पैरा-16 के अनुसार प्राक्कलन तैयार करते समय संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर काफी सावधानी बरतनी चाहिए एवं सभी मदों पर होने वाले व्ययों हेतु समग्र विचार के उपरान्त बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना चाहिए।

कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक विभिन्न मदों में आवंटन व्यय तथा समर्पण धनराशियों की बजट मैनुअल के परिपेक्ष्य में जांच की गयी। जांच में विभिन्न मदों में आवंटन-व्यय में विसंगतिया प्रकाश में आयी। विवरण निम्नवत् हैं

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	मद संख्या व मद	आबंटित राशि	व्यय	समर्पण
2012-13	11-लेखन सामग्री	2000	0	2000
2012-13	13-टेलीफोन व्यय	20000	1945	18055
2012-13	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20000	0	20000
2013-14	12-फर्नीचर एवं उपकरण	50000	0	50000
2013-14	15-गाडियों का अनुरक्षण	100000	12171	87829
2013-14	16-व्यावसायिक सेवा	80000	0	80000
2014-15	08-कार्यालय व्यय	20000	500	19500
2014-15	12-फर्नीचर एवं उपकरण	30000	0	30000
2014-15	13-टेलीफोन व्यय	40000	7371	32629
2014-15	15-गाडियों का अनुरक्षण	50000	16074	33926
2014-15	16-व्यावसायिक सेवा	100000	31817	68183
2014-15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	10000	0	10000
2015-16	04-यात्रा व्यय	10000	0	10000
2015-16	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10000	0	10000
2016-17	11-लेखन सामग्री	35000	10638	24362
2016-17	13-टेलीफोन व्यय	35000	12255	22745
2016-17	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	30000	11800	18200
योग		642000	104571	537429

वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक वेतन एवं महंगाई भत्ता मद में निरंतर बजट समर्पण होने के बावजूद बजट प्राक्कलन करते समय इस पर ध्यान न देने के कारण लेखापरीक्षा अवधि में उपरोक्त वर्णित मदों में ₹ 642000 के आबंटन के सापेक्ष ₹ 537429 (83.71%) का समर्पण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में मांग के आधार पर बजट हेतु पत्र व्यवहार किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः2- रू 43885/- की मरम्मत बिना उच्चाधिकारी की संस्तुति एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी की निरीक्षण के बिना कराया जाना।

मोटर विहिकल्स एक्ट के परिशिष्ठ III-A में स्पष्ट दर्शाया गया है कि 35000-50000/- हजार तक की प्रतिवर्ष मरम्मत कार्य बिना उच्चाधिकारी की संस्तुति एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बिना नही कराया जाना चाहिए।

कार्यालय अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, नैनीताल की वाहन लॉग बुक की जांच में पाया गया कि वाहन संख्या यू0ए0-07-जी-2565 की एक मरम्मत पर रू 43,885 खर्च किए जाए, जोकि बड़ा मरम्मत कार्य है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा न ही सम्भागीय परिवहन अधिकारी से तकनीकी निरीक्षण करवाया गया, तथा न ही उच्चाधिकारी की संस्तुति ली गई।

विभाग न उत्तर में बताया है कि भविष्य में RTO से रिपोर्ट लेकर ही कार्य करवाया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद कुमाऊं, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री एन.के आर्या	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	16.01.2002	31.12.2004
2.	श्री डी.एस. गर्ब्याल	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	21.05.2005	12.11.2006
3.	श्री कुणाल शर्मा	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	13.11.2006	21.11.2006
4.	श्री आर.सी.पाठक	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	22.11.2006	24.09.2007
5.	श्री टी.आर. भट्ट	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	25.09.2007	31.01.2008
6.	श्री सी.एम.एस. बिष्ट	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	31.01.2008	14.03.2008
7.	श्री एन.के. जोशी	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	28.03.2008	07.11.2008
8.	श्री यू.डी. चौबे	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	16.12.2008	30.06.2011
9.	श्री ए.एस. नयाल	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	19.07.2011	01.08.2013
10.	श्री दीपक रावत	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	19.11.2013	10.11.2014
11.	श्री धीराज सिंह गर्ब्याल	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	27.05.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद कुमाऊं, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र